न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 102 / 2022

श्री ताराचन्द पुत्र होतीलाल निवासी महलपुर काछी अटल सेवा केन्द्र के पास रुपवास जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, कलेकट्रेट, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.12.2022**

अपीलार्थी श्री ताराचन्द पुत्र होतीलाल निवासी महलपुर काछी अटल सेवा केन्द्र के पास रुपवास जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, 1–प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखगार भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 22 / 935 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला अभिलेखागार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब को शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। लोक सूचना अधिकारी जिला अभिलेखागार भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / 132 दिनांक 20.12.2022 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र में अंकित किया है कि वांछित सूचना से सम्बन्धित पत्रावली एस. डी. रुपवास कार्यालय से जमा नहीं कराई गई है, इस बाबत एस.डी.ओ. रुपवास से जानकारी चाही जारही है। लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब पत्र से यह स्पष्ट है कि उनके कार्यालय में वांछित सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जिसकी बाबत अपीलार्थी को भी कराया गया है। यानि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर वांछित सूचना लम्बित नहीं है, अतः अपील खारिज की जाती है।

.......2

लिये आपको लिखा है, अतः इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर